झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

विज्ञापन सं0– 02

प्रेस विज्ञप्ति

राँची, दिनांक–16.06.2021

समाचार–पत्रों के माध्यम से आयोग को यह जानकारी मिल रही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा जनवितरण प्रणाली के तहत् मिलने वाले खाद्यान्न के उठाव के लिये राशन कार्डधारियों के कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य करने सम्बन्धी निदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत् प्रत्येक योग्य लाभुकों को निर्धारित मात्रा व दर पर खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम से विशेष कर वे लोग आच्छादित हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब तबके से आते हैं तथा काफी हद तक जनवितरण प्रणाली केन्द्र से मिलने वाले खाद्यान्न पर ही निर्भर हैं। ऐसे में कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य किये जाने से लाभुकों को मिलने वाले खाद्यान्न में अनावश्यक विलंब होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है एवं इससे उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

अतः जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त कारणों से उन्हें जनवितरण प्रणाली के तहत् मिलने वाले खाद्यान्न से वंचित किया जाता है, तो इसकी शिकायत ईमेल (jharfoodcommission@gmail.com) अथवा पत्राचार के माध्यम से झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची (ई–1/8 साकेत नगर, रजिस्ट्री ऑफिस के सामने, हिनू, राँची–834002, दूरभाष सं0–0651–2252267, कार्यालय अवधि 10.00 बजे प्रातः से 06.00 बजे अपराह्न) के कार्यालय में की जा सकती है।

ह0/–
(मदन मोहनपति त्रिपाठी)
विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची

PR 248119(Jharkhand State Food Commission)21-22*D